

04/11/2020

पत्रावली पेन्न हुई आविष्कता कडाची है।
लगा 6 उपस्थित बार 2 आवान लगावने
के उपरांत भी आविष्कता प्राची कडाचा
प्राची में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
आविष्कता कडाची है। लगा 6 को सुनाया
एवं पत्रावली लगा उपखण्ड अधिकारी डीसा से
प्राप्त रिपॉर्ट का आवानोक्त किया गया। तलश्चात
विचारधीन प्राचीना पत्र स्थानांतरण को स्वीकार
किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। कडाचा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीसा में विचारधीन
मु.नं. 29/2019 एवं सी.कां. 19/2019 इनका
इस्माइल एवं बनाम बांकी एवं व अन्य की
अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु
प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राचीना पत्र स्थानांतरण
स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी डीसा
को निर्णय से प्रति मिलवाई जावे। पत्रावली
फैसल मुबार की जाकर नम्बर से कम है एवं
बाद प्रति उचित लेख भंडार है। निर्णय आज
दिनांक 04/11/2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

5/11/20

W
जिला कलेक्टर
दौसा

